न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 70 / 2025

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

1. ग्राम पंचायत, जावाल जरिये सरपंच (प्रशासक) / ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही
2. श्री तेजाराम पुत्र श्री पीताजी मेघवाल, निवासी– जावाल, तह0 व जिला–सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

(1) श्री हरिराम, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही, प्रार्थी की ओर से।
(2) अधिवक्ता श्री चेतन रावल, अप्रार्थी संख्या 2 (दो) की ओर से।

–: निर्णयः– **दिनांक 27 मार्च, 2026**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में पारित प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 12–3–2021 एवं अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत जारी पट्टा विलेख संख्या 16 दिनांक 22–3–2021 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 2 (दो) की ओर से अधिवक्ता श्री चेतन रावल उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 2 (दो) की ओर से जबाव पेश किया। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 (एक) को नोटिस की तामिल होने के बावजूद उपस्थित नही हुये।

(3) प्रकरण में दिनांक 25–3–2026 को बहस सुनी गई। बहस के दौरान श्री हरिराम, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही ने निगरानी आवेदन में अंकित कथनों व तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित हुए यह व्यक्त किया कि तत्कालीन ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच हेतु उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रथम), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयुपर के पत्र कमांक एफ 139(48) / पट्टा जांच / सिरोही / विधी / .स. / 2022 / 807 दिनांक 24–06–2022 के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत, जावाल के पट्टों की जांच के सम्बन्ध में प्रदत्त निर्देशों की पालना में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सिरोही के आदेश क्रमांक 559–65 दिनांक 23–07–2022 के द्वारा जांच कमेटी गठित की गई। जिसकी जांच रिपोर्ट में प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 12–03–2021 के द्वारा तत्कालीन ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा बुक संख्या 595 से जारी पट्टा विलेख संख्या 16 दिनांक 22–03–2021 में अनियमितता बरती जाने के कारण उक्त निगरानी प्रार्थी की ओर से विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत की गई है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के अन्तर्गत ऐसे परिवार जिनके पास कई भी कोई गृह या गृह स्थल नही है, और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी झोपडी / कच्चे गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है अधिकतम 300 वर्गगज तक कब्जे के निःशुल्क विनियमितीकरण के हकदार होंगे। ऐसी भूमि का पट्टा (प्रारूप 23 ख) ऐसी महिला को जारी किया जाऐगा, जो ऐसी परिवार की मुखिया हो। प्रश्नगत पट्टे की ग्राम पंचायत की पत्रावली संख्या 248

.......पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

दिनांक 22–01–2021 के तहत अप्रार्थी संख्या 2 (दो) को पट्टा विलेख संख्या 16 दिनांक 22–3–2021 को जारी किया गया है, जबकि अप्रार्थी संख्या 02 (दो) द्वारा भूमि का विनियमितिकरण कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है, इस प्रकार उक्त जारी पट्टा विलेख में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 की पालना पूर्ण रूप से नही की गई है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 146 के तहत स्थल निरीक्षण हेतु कमेटी का गठन नही किया गया है एवं न ही कोई मौका निरीक्षण किया गया है। इस प्रकार, उक्त जारी पट्टा विलेख में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 146 की पालना पूर्ण रूप से नहीं की गई है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 148 अनुसार यदि पंचायत अंतिम रूप से यह निश्चित करे कि विक्रय किया जाना है तो उपनियम (2) अधिकथित रिति से प्रारूप 22 में एक नोटिस प्रस्तावित विक्रय के सम्बन्ध में, इसके प्रकाशन के सम्बन्ध में एक मास के भीतर–2 आक्षेप आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित करेगी, उसकी एक प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहज दृश्य स्थान पर लगाई जायेगी तथा दुसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के, उसे ऐसे लगाए जाने के परिणामस्वरूप हस्ताक्षर करने के उपरान्त कार्यालय में लौटाई जायेगी, परन्तु उक्त पट्टा विलेख जारी करने में उक्त नियम 148 की पालना पूर्ण रूप से नही की गई है। ग्राम पंचायत के बैठक रजिस्टर में दिनांक 12–3–2021 को बैठक किया जाना दर्शाया गया है, उस दिनांक में भी उपरी लेखन किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा विलेख से संबंधित कोई मिसल पत्रावली संधारित नही की गई है। इस प्रकार, ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा उक्त पट्टा विलेख जारी करने में नियम 145 से 157 की पालना नही की गई है। उक्त पट्टा विलेख में वर्णित भूमि के संबंध में अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के कब्जे व निवास के कोई साक्ष्य नही लिये गये है। उक्त भूमि विक्रय / नियमन के सम्बन्ध में वर्ष 2003 तक के कब्जे के कोई प्रमाण अप्रार्थी संख्या 2 (दो) द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है एवं कई ओर अन्यत्र आवास नही होने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये है। उक्त पट्टा नियम विरुद्ध पुरुष मुखिया के नाम से जारी किया गया है, जबकि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत पट्टा विलेख परिवार के महिला मुखिया के नाम से जारी किया जा सकता है। इस प्रकार, ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के हक में नियम विरुद्ध पट्टा जारी किया गया है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 12–3–2021 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष जारी पट्टा विलेख संख्या 16 दिनांक 22–03–2021 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के जबाव में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के अन्तर्गत ऐसे परिवार जिनके पास कई भी कोई गृह या गृह स्थल नही है, और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी झोपडी / कच्चे गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है अधिकतम 300 वर्गगज तक कब्जे के निःशुल्क विनियमितीकरण के हकदार होंगे। इस नियम के तहत ग्राम पंचायत, जावाल ने अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के आवेदन पर नियमानुसार पत्रावली दायर कर विहित विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के हक में पट्टा जारी किया है। अप्रार्थी संख्या 2 (दो) द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में उसके पुराने कब्जे के कच्चे आवासीय मकान का विनियमितीकरण कर पट्टा जारी करने हेतु दिया है एवं भूमि का विवरण व दस्तावेज आवेदन के साथ पेश किये गये थे। ग्राम पंचायत, जावाल ने बाद जांच व नियमानुसार कार्यवाही करते हुए नजरी नक्शा तैयार कर, वार्ड पंचों से भूमि का मौका निरीक्षण करवाकर व आपत्ति नोटिस जारी करके पंचायत बैठक

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

में निर्णय पारित करके अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के कब्जे की उक्त आवासीय भूमि का अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के हक में नियमानुसार पट्टा विलेख जारी किया है। विहित विधिक प्रक्रिया का पालन करने व पंचायत रेकर्ड के समुचित रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत जावाल की है न कि अप्रार्थी संख्या 2 (दो) की। प्रार्थी द्वारा अपने कब्जे के पुराने आवासीय कच्चे मकान का पट्टा बनाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा यदि विधिक प्रक्रिया का पालन करने में कोई त्रृटि की गई है तो इसके लिये अप्रार्थी संख्या 2 (दो) दोषी नही माना जा सकता है। अप्रार्थी संख्या 2 (दो) का उक्त भूखण्ड पर पुराना मकान बना हुआ है एवं मौके पर अप्रार्थी संख्या 2 (दो) गत कई वर्षो से अपने परिवार के साथ निवास करते आ रहा है व मकान के स्वामित्व का भी कोई विवाद नही है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 12–3–2021 के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत पट्टा विलेख संख्या 16 दिनांक 22–3–2021 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के अन्तर्गत ऐसे परिवार, जिनके पास कहीं भी कोई गृह या गृह स्थल नही है और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी–झौपडी/कच्चे गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है, अधिकतम 300 वर्ग गज तक कब्जे के निःशुल्क विनियमितीकरण के हकदार होंगे। ऐसी भूमि का पट्टा (प्ररुप 23 ख) ऐसी महिला को जारी किया जायेगा जो ऐसे परिवार की मुखिया हो।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जांच प्रतिवेदन (जो जिला जन अभियोग एवं सर्तकता समिति, सिरोही में दर्ज प्रकरण संख्या 32/2022 में शिकायत/परिवाद की जांच के संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, सिरोही के द्वारा गठित जांच दल द्वारा जांच कर प्रस्तुत किया गया है) के अवलोकन से एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही के कथनों व न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 2 (दो) ने भूमि का विनियमितिकरण कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है, जिससे राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 की पालना पूर्ण रूप से नही हुई हैं। ग्राम पंचायत, जावाल ने राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 146 के तहत स्थल निरीक्षण हेतु कमेटी का गठन नही किया गया है एवं न ही कोई मौका निरीक्षण किया गया है। इस प्रकार, उक्त जारी पट्टा विलेख में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 146 की भी पालना पूर्ण रूप से नहीं की गई है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 148 अनुसार यदि पंचायत यह निश्चित करे कि भूमि विक्रय किया जाना है तो उपनियम (2) में अधिकथित रिति से प्रारूप 22 में एक नोटिस प्रस्तावित विक्रय के सम्बन्ध में, इसके प्रकाशन के सम्बन्ध में एक मास के भीतर–2 आक्षेप आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित करेगी, उसकी एक प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहज दृश्य स्थान पर लगाई जायेगी तथा दुसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के, उसे ऐसे लगाए जाने के परिणामस्वरूप हस्ताक्षर करने के उपरान्त कार्यालय में लौटाई जायेगी, परन्तु उक्त पट्टा विलेख जारी करने में उक्त नियम 148 की भी पालना नही की गई है। ग्राम पंचायत के बैठक रजिस्टर में दिनांक 12–3–2021 को बैठक किया जाना दर्शाया गया है, उस दिनांक में भी उपरी लेखन किया गया है। ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा उक्त पट्टा विलेख से संबंधित कोई मिसल पत्रावली संधारित नही की गई है। इससे यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के आज्ञापक प्रावधानों व

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

विहित विधिक प्रक्रिया का पालन नही किया गया है। उक्त भूमि विक्रय/नियमन के सम्बन्ध में वर्ष 2003 तक के कब्जे के कोई प्रमाण, अप्रार्थी संख्या 2 (दो) ने प्रस्तुत नही किये है एवं ग्राम पंचायत, जावाल ने भी उक्त पट्टा विलेख में वर्णित भूमि के संबंध में अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के कब्जे व निवास के संबंध में कोई जांच नही की है। उक्त पट्टा विलेख, पुरूष मुखिया के नाम से जारी किया गया है, जो नियम विरुद्ध है। इस प्रकार, ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में उक्त प्रश्नगत पट्टा विलेख जारी करने में अनियमितता बरती गई है। ऐसी स्थिति में, ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में पारित प्रस्ताव व पट्टा विलेख को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में पारित प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 12−3−2021 एवं ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत जारी पट्टा विलेख संख्या 16 दिनांक 22−3−2021 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 27 मार्च, 2026 को सर−ए−ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही